(47)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

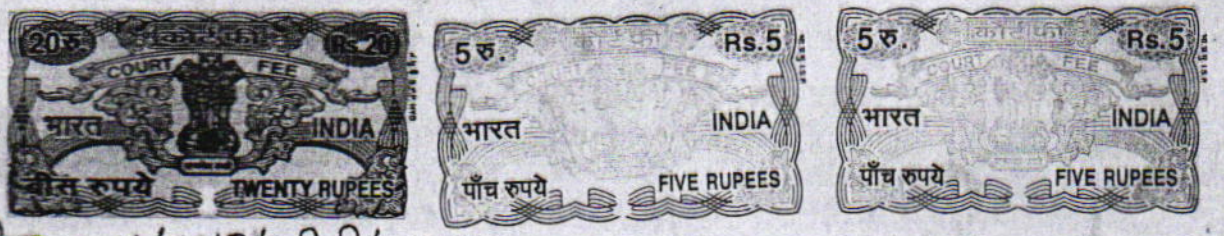

निगरानी – 6046/2018/सीधी/भू.रा.

गुलाबकली दुबे पुत्री सहदेव राम ब्राम्हण, उम्र–55 वर्ष, निवासी ग्राम–कोटा, तहसील कुसमी, जिला–सीधी (म0प्र0) -----निगरानीकर्ता

बनाम्

1– खिरोधन साहू पिता स्व0 भोदू साहू, उम्र–28 वर्ष,

2– श्यामलाल साहू पिता स्व0 भोंदू साहू, उम्र–26 वर्ष,

3– नेमलाल साहू पिता स्व0 भोंदू साहू, उम्र–38 वर्ष,

4– गेंदिया साहू पत्नी स्व0 भोंदू साहू, उम्र–60 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम–कोटा, तहसील कुसमी, जिला–सीधी (म0प्र0)

5, म0प्र0 शासन

-----गैरनिगरानीकर्तागण

दिनांक 8.10.18 को श्री वीरेन्द्र द्विवेदी अधि० द्वारा प्रस्तुत/ 8.10.18 SO

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959ई0

निगरानी आदेश दिनांक 12/09/2018 अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा वृत्त ~~सतना~~ सीधी के प्रकरण क्रमांक 59/अपील/2014–15

पु०हि० 16.10.18

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं–

1– यह कि निगरानीकर्ता ग्राम कोटा, तहसील कुसमी जिला सीधी (म0प्र0) की निवासी है और लगभग वर्ष 1980 से ग्राम कोटा तहसील कुसमी जिला सीधी म0प्र0 में रह रही है तथा भूमिहीन होने के कारण तहसीलदार महोदय कुसमी के समक्ष आराजी नंबर 223/4 रकवा 0.809हे0 आराजी नं0 373/4 रकवा 1.109हे0 कुल किता दो कुल रकवा

XXIX(a)-BR(H)-11

(49)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6064/2018/सीधी/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र द्विवेदी एवं अनवोदक क्र. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर, अनावेदक क्र. 5 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के पश्चात पेश किया गया है। इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अत: यह प्रकरण वापस किया जाए। प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। चूंकि यह प्रकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 के अनुसार उक्त प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह प्रकरण आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलत: वापस किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	